कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 972 /03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 27–12–2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठाखानी–कठपतिया से दोबांस मोटर मार्ग हेतु 4.935 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है–

शर्त संख्या 1– के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु ₹ 1411410.00 मात्र की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–दोबांस, पट्टी–खर्कदेश, तहसील–पिथौरागढ़, जिला–पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 4.935 हे0 वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या 2– के अनुपालन में ₹ 3449565.00 मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या 3– के अनुपालन में वचनबद्वता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।

शर्त संख्या 4– के अनुपालन में देय धनराशियों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कारपोरेशन बैंक, शाखा नई दिल्ली में यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा जमा करा दिया गया है।

शर्त संख्या 5– के अनुपालन में भू–वैज्ञानिकों के सुझावों का अनुपालन किया गया है।

शर्त संख्या 6– के अनुपालन में सभी आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र ऑनलाईन व हार्ड कॉपी पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये हैं।

शर्त संख्या 7– के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र, ऑनलाईन व हार्ड कॉपी में पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

27/12/18

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

27/12/18

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।